

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 1191 सन 2021

अनवान :-

1. हडमान पुत्र देईराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सावित्री पत्नी श्रवण जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. मदन पुत्र श्रवण जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
3. श्योपत पुत्र श्रवण जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
4. भागीरथ पुत्र श्रवण जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
5. फुलवन्ती पुत्री श्रवण पत्नी जगदीश जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. रोशनी पुत्री श्रवण पत्नी महावीर जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
7. ओमप्रकाश पुत्र अमीचन्द जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
8. रामलाल पुत्र अमीचन्दजाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
9. मंगलाराम पुत्र अमीचन्द जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
10. जमना बेवा अमीचन्द जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
11. कलावती पुत्री अमीचन्द पत्नी राजू जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी जबरार तहसील नोहर।
12. कृष्ण पुत्री अमीचन्द पत्नी प्रताप जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी जबरार तहसील नोहर।
13. सुमन पुत्री अमीचन्द पत्नी विनोद जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी अरनियावाली।
14. सरजीत पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
15. रामस्वरूप पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
16. चन्द्रपाल पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
17. कानाराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
18. भंवरी पुत्री केसराराम पत्नी इन्द्राज जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी वाच्छुरार तहसील नोहर।
19. विमला पुत्री केसराराम पत्नी भालाराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी।
20. रेशमा पुत्री किस्तुरी पुत्री देईराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
21. रामप्यारी पुत्री किस्तुरी पुत्री देईराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
22. भंवरलाल पुत्र सोना पुत्री देईराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
23. कालूराम पुत्र सोना पुत्री देईराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
24. साहबराम पुत्र सोना पुत्री देईराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
25. सिलोचना पुत्री सोना पुत्री देईराम पत्नी जीतराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी दुधवा वाली ढाणी तहसील पीलीबंगा।
26. बिदामी पुत्री देईराम पत्नी सुखराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
27. गिरदावरी पुत्री देईराम पत्नी शंकर जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
28. लिछमा पुत्री देईराम पत्नी महावीर जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी ननाउ तहसील नोहर।
29. गोरा पुत्री देईराम पत्नी देदराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी कनवानी तहसील नोहर।
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री सजय कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 48/40 की कुल 4.6910 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देईराम वल्द खियाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पूर्वज देईराम वल्द खियाराम के नाम से दर्ज है देईराम वल्द खियाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान में से पुत्र श्रवण, इमीचन्द, केसराराम, पुत्री किस्तुरी व सोना का देहान्त हो चुका है इसप्रकार देईराम वल्द खियाराम एवं उनके पुत्र/पुत्रीयो के देहान्त होने के बाद देईराम वल्द खियाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 है जो देईराम वल्द खियाराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है , प्रतिवादी संख्या 11 ,12 ,13 प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 की बहने है एव प्रतिवादी संख्या 18 ता 19 प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 की बहने एव प्रतिवादी संख्या 20 ,21 वादी की मृतक बहन किस्तुरी के वारिसान है एव प्रतिवादी संख्या 22 ता 25 वादी की मृतक बहन सोना के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 26 ता 29 वादी की बहने है प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ,11 ता 13 ,18 ता 29 जो वादी की बहने बहन के वारिसान एवं मृतक भाईयो की पुत्रीया है ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाई/माता/मामा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,7 ता 10 ,14 ता 17 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1, 7 ता 10 ,14 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की देईराम वल्द खियारा के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,7 ता 10 ,14 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पूर्वज देईराम वल्द खियाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान में उनके पुत्र श्रवण, इमीचन्द, केसराराम, पुत्री किस्तुरी , सोना का देहान्त हो चुका है इसलिये देईराम के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ,11 ता 13 ,18 ता 29 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,7 ता 10 ,14 ता 17 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,7 ता 10 ,14 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,7 ता 10 ,14 ता 17 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज

उपजर्ज अधिकारी है जवाब शामिल मिसल किया गया।
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 48/40 की कुल 4.6910 हैक्ठु भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देईराम वल्द खियाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पूर्वज देईराम वल्द खियाराम के नाम से दर्ज है देईराम वल्द खियाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान में से पुत्र श्रवण, इमीचन्द, केसराराम, पुत्री किस्तुरी व सोना का देहान्त हो चुका है इसप्रकार देईराम वल्द खियाराम एवं उनके पुत्र/पुत्रीयो के देहान्त होने के बाद देईराम वल्द खियाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 है जो देईराम वल्द खियाराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है , प्रतिवादी संख्या 11 ,12 ,13 प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 की बहने है एव प्रतिवादी संख्या 18 ता 19 प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 की बहने एव प्रतिवादी संख्या 20 ,21 वादी की मृतक बहन किस्तुरी के वारिसान है एव प्रतिवादी संख्या 22 ता 25 वादी की मृतक बहन सोना के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 26 ता 29 वादी की बहने है प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ,11 ता 13 ,18 ता 29 जो वादी की बहने बहन के वारिसान एवं मृतक भाईयो की पुत्रीया है ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाई/माता/मामा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,7 ता 10 ,14 ता 17 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1, 7 ता 10 ,14 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।


वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरगावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 48/40 की कुल 4.6910 हैक्ठु भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देईराम वल्द खियाराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पूर्वज देईराम वल्द खियाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान में उनके पुत्र श्रवण, इमीचन्द, केसराराम, पुत्री किस्तुरी , सोना का देहान्त हो चुका है इसलिये देईराम के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ,11 ता 13 ,18 ता 29 ने अपने हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,7 ता 10 ,14 ता 17 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ,11 ता 13 ,18 ता 29 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,7 ता 10 ,14 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिनो उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किराी प्रकार का ऐतराज नहीं है।


उपअध्यक्ष अधिकारी
नेहर

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्था होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ,11 ता 13 ,18 ता 29 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 48/40 की कुल 4.6910हैक भूमि देईराम के नाम से दर्ज है मृतक देईराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1.17275हैक प्रतिवादी संख्या 1 अकेली 1.17275हैक प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 बहिब 1.17275हैक व प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 बहिब 1.17275हैक भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जावता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. हडमान पुत्र देईराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

2. सावित्री पत्नी श्रवण जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर ।
3. मदन पुत्र श्रवण जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
4. श्योपत पुत्र श्रवण जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
5. भागीरथ पुत्र श्रवण जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
6. फुलवन्ती पुत्री श्रवण पत्नी जगदीश जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
7. रोशनी पुत्री श्रवण पत्नी महावीर जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी रायसिहपुरा तहसील नोहर ।
8. ओमप्रकाश पुत्र अमीचन्द जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
9. रामलाल पुत्र अमीचन्दजाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
10. मंगलाराम पुत्र अमीचन्द जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
11. जमना देवा अमीचन्द जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
12. कलावती पुत्री अमीचन्द पत्नी राजू जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी जबरासर तहसील नोहर ।
13. कृष्ण पुत्री अमीचन्द पत्नी प्रताप जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी जबरासर तहसील नोहर ।
14. सुमन पुत्री अमीचन्द पत्नी विनोद जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी अरनियावाली ।
15. सरजीत पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
16. रामस्वरूप पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
17. चन्द्रपाल पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
18. कानाराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
19. भंवरी पुत्री केसराराम पत्नी इन्द्राज जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर ।
20. विमला पुत्री केसराराम पत्नी भालाराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी ।
21. रेशमा पुत्री किस्तुरी पुत्री देईराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
22. रामप्यारी पुत्री किस्तुरी पुत्री देईराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
23. भंवरलाल पुत्र सोना पुत्री देईराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
24. कालूराम पुत्र सोना पुत्री देईराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
25. साहबराम पुत्र सोना पुत्री देईराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
26. सिलोचना पुत्री सोना पुत्री देईराम पत्नी जीतराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी दुधवा वाली ढाणी तहसील पीलीबंगा ।
27. विदामी पुत्री देईराम पत्नी सुखराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी धानसिया तहसील नोहर ।
28. गिरदावरी पुत्री देईराम पत्नी शंकर जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी धानसिया तहसील नोहर ।
29. लिछमा पुत्री देईराम पत्नी महावीर जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल निवासी ननाउ तहसील नोहर ।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

30. गोरा पुत्री देईराम पत्नी देदराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर
हाल निवासी कनवानी तहसील नोहर।
31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1191 सन 20210 निर्णय दिनांक- 01/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष
अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने
पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के
कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी के खाता
संख्या 48/40 की कुल 4.6910हैक् भूमि देईराम के नाम से दर्ज है मृतक देईराम का नाम
कलमजान किया जाकर वादी अकेला 1.17275हैक् प्रतिवादी संख्या 1 अकेली 1.17275हैक्
प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 बहिव 1.17275हैक् व प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 बहिव 1.17275हैक्
भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन
करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया
जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे
व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी
की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)